



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./ESTB/34047/2026-ESTT SEC / 1166

भिलाई, दिनांक 12/10/2026

//आदेश//

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 767 भिलाई, दिनांक 23.07.2026 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के कारण श्री अशोक कुमार यादव, भृत्य को निलंबित किया गया तथा दिनांक 02.09.2026 को उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। इस कार्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र दिनांक 02.09.2026 का जवाब श्री अशोक कुमार यादव द्वारा दिनांक 09.09.2026 को प्रस्तुत किया गया है। श्री अशोक कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रथमदृष्ट्या संतोषप्रद नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है। विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

अतः समुचित विचार उपरांत श्री अशोक कुमार यादव, भृत्य को निलंबन से बहाल करते हुये मुख्य कार्यालय भवन संधारण में पदस्थ किया जाता है। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच पूर्ण होने उपरांत नियमानुसार किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
SURUCHI SINGH
Date: 12-10-2026
13:25:12

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./ESTB/34047/2026-ACC SEC / 1167
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 12/10/2026

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. कार्यपालन अभियंता भवन संधारण, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 4 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
12. श्री अशोक कुमार यादव, भृत्य नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

164 कोरी

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई